उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या–सं0वि0क0नि0 5–2115/11–2006–500(85)/2001

लखनऊ दिनांक 30 मई, 2006

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में प्रोसैसिंग क्षेत्र में स्थित किसी स्टैन्डर्ड डिजाइन फैक्ट्री के किसी विकासकर्ता या सहविकासकर्ता द्वारा किसी उद्यमी के पक्ष में निष्पादित, पट्टे के लिखत पर उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं। स्टाम्प शुल्क में छूट इस शर्त के अध्यधीन होगी कि विकास आयुक्त, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किसी विधिमान्य अनुज्ञापत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए लिखत प्रस्तुत किया जायेगा। विकासकर्ता/सहविकासकर्ता किसी व्यक्ति के पक्ष में भूमि के हस्तान्तरण का विलेख निष्पादित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरणः पद ''सहविकासकर्ता'', ''विकासकर्ता'', ''विकास आयुक्त'', ''उद्यमी'', ''अधिसूचना'', ''विशेष आर्थिक परिक्षेत्र'', ''राज्य सरकार'' के अर्थ वही होंगे, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 28 सन् 2005) की धारा 2 के अधीन परिभाषित हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–स0वि0क0नि0–5–2115(1)/ग्यारह–2005–500(85)/2001 तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशस से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 30 मई, 2006 के असाधारण गजट के भाग–4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 20 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को और 10 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Sansthagat Vitt, Kar Evam Nibandhan Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N.5-2115/11-2006-500(85)/2001 dated May 30, 2006 for general information.

No. S.V.K.N. 5-2115/11-2006-500(85)/2001

Lucknow, Dated May 30, 2006

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty on an instrument of lease chargeable under Article 35 or the said Act of a standard design factory situated in the processing area in the Special Economic Zone, Noida, District Gautambudhnagar notified by the Government of India, executed by a Developer or co-developer in favour or an enterpreneur. The remit of stamp duty shall be subject to the condition that the instrument shall be presented for registration alongwith a valid letter of permission issued by the Development Commissioner, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. The developer/co-developer shall not execute a deed of conveyance of land in favour of any person.

Explanation :- The terms "Co-developer", "Developer", "Developoment Commissioner", "enterpreneur", "notification", "Special Economic Zone", "State Government" shall have the meaning as defined under section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (Act no. 28 of 2005).

By order,

Sd/-Illegible

(Prabhat Chandra Chaturvedi)

Pramukh Sachiv.